GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS RAILWAY BOARD

No.E(D&A) 2005/G\$ 1-1

New Delhi, dated: 12.4.2005

The General Manager (P), All Indian Railways/Production Units etc., (as per Standard Lists).

> Sub: Conduct of a Railway servant in relation to the proper maintenance of his family.

Instances of failure of Railway servant to look after the proper maintenance of their families have come to notice of the Board. It has been noticed that in most cases, Railway avoid to investigate these instances/complaints and to take suitable action thereon on the ground that these are private/personal affairs of the Railway servant and railway administration cannot interfere as such.

- In this connection it is clarified that it is the responsibility of the railway employees to look after their families, failing which they can be taken up for violating RS (Conduct) Rules, 1966 for such conduct 'as unbecoming of a railway servant'. Neglect by a railway employee of his wife and family in a manner unbecoming of railway servant should be regarded as a good and sufficient reason to justify action being taken against him under Rule 6 of RS (D&A) Rules, 1968.
- Instances/complaints of the failure of Railway employees to look after their families may, therefore, be investigated invariably and suitable action be taken in all those cases where the complaints are prima facie established during the investigation.

Please acknowledge receipt.

(R. Vijayan Nair)

Dy. Director Establishment(D&A)

Railway Board

Contd/...

No.E(D&A) 2005/GS 1-1

New Delhi, dated: (5 .4.2005

Copy to:

- The General Secretary, AIRF (with 35 spare copies).
- 2. The General Secretary, NFIR (with 35 spare copies).
- 3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshan Road, New Delhi (with 60 spare copies).
- The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (6 copies).
- 5. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (6 copies).
- 6. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association.
- 7. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- 8. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association.
- 9. The Secretary General, AIRPFA, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
- 10. The Secretary, RBSS 'Group A' Officers' Association, Room No.506, Rail Bhavan, New Delhi.
- 11. M/s Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O. Box No.2032.

For Secretary/Railway Board

Copy to:

PS/MR, PS/MSR(N), PS/MSR(V)

Sr.PPSs to CRB, FC , MS, MT, ME, ML, MM

All Officers and Branches in Board's Office.

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए)2005/जी एस 1-1

नई दिल्ली, दिनांक 12 .4.2005

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां आदि, (मानक डाक सूची के अनुसार).

विषय :

रेल सेवक द्वारा अपने परिवार का उचित भरण-पोषण करने के संबंध में

रेल सेवक का आचरण.

रेल सेवकों द्वारा अपने परिवार का उचित भरण पोषण न करने संबंधी कई घटनाएं बोर्ड के नोटिस में आई हैं. यह नोटिस किया गया है कि अधिकांश मामलों में, रेलवे इस आधार पर इन घटनाओं/शिकायतों की जांच करने तथा उन पर उचित कार्रवाई करने से बचती रही हैं कि ये रेल सेवक का निजी/व्यक्तिगत मामले हैं और इसमें रेल प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

- 2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह रेल कर्मचारियों की जिम्मेवारी है कि वे अपने परिवार की देखभाल करें, ऐसा न करने पर ऐसे आचरण के लिए जो रेल सेवक के लिए अशोभनीय है उनके खिलाफ रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 का उल्लंधन करने की कार्रवाई की जा सकती है. किसी रेल सेवक द्वारा अपनी पत्नी और परिवार की अनदेखी करने पर रेल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 6 के अंतर्गत उसके विरुद्ध इस अशोभनीय आचरण के लिए कार्रवाई करने के लिए सही और पर्याप्त कारण माना जाए.
- 3. अतः रेल सेवकों द्वारा अपने परिवार की देखभाल न करने की घटनाओं/शिकायतों की निरंपवाद रूप से जांच की जाए और उन सभी मामलों में उपर्युक्त कार्रवाई की जाए जिनमें जाँच के दौरान प्रथम-दृष्ट्या शिकायत सही साबित होती हों.

कृपया पावती दें.

(आर. विजयन नायर) उप निदेशक स्था (अनुशासन एवं अपील) रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सिहत)
- 2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 5. महासचिव, फ्रोआ, 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 6. महासचिव, आर बी एस एस 'ग्रुप बी' आफिसर्स एसोसिएशन
- 7. संचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन
- 8. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ग्रुप डी कर्मचारी एसोसिएशन.
- 9. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 10. सचिव, आरबीएसएस 'ग्रुप ए' आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 11. मैसर्स बाहरी बद्रर्स, 742, लाजपत राय मार्किट, दिल्ली- 110 006, पो. बा. नं. 2032.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड